

नियम एवं शर्तें

- निविदादाता के फर्म/एजेंसी/एन०जी०ओ० का नाम पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तथा ई-मेल आईडी एवं वेबसाईट का उल्लेख निविदा में करना अनिवार्य होगा।
- निविदा कम्प्यूटराइज्ड अंकित होना अनिवार्य होगा। हस्तालिखित, काट-कूट या लिप्त-लेपन वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- बस का संचालन कॉलेज के शैक्षणिक कार्यक्रम के आवश्यकता अनुसार प्रत्येक सप्ताह में 2 (दो) दिन का होगा। (समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
- बस तीन वर्ष (01.03.2024 की तिथि तक) के अन्दर का जिला परिवहन कार्यालय में निबंधित हो एवं सभी तरह से दुरुस्त हो। पर्यटन विभाग से निबंधित बस एवं अपेक्षाकृत नयी गाड़ी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- बस संचालन हेतु कर्मी, टैक्स, किसी प्रकार की मरम्मती की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा।
- पूर्व में किसी भी विद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/परिवहन अथवा सरकारी कार्यालय में बस संचालन से संबंधित कार्य अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता दी जायेगी।
- पूर्व में ट्रांसपोर्ट संबंधी कार्य का ऑडिट प्रतिवेदन देने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- बस का संचालन अद्योहस्ताक्षरी के आदेशानुसार होगा। दिये गये सप्ताहिक समय पर निविदादाता द्वारा परिचालन उपलब्ध नहीं कराने पर दो हजार रुपये प्रति बस प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।
- सभी तरह के कर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौती के बाद ही भुगतान देय होगा।
- किसी प्रकार की अनियमितता/आदेश अवहेलना या चालक को नशा के हालत में पकड़े जाने पर रु० 1000 से रु० 2000 तक आर्थिक दण्ड जो उसी माह के भुगतान से कटौती करते हुए कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस को सूचित किया जाएगा एवं तुरंत निविदा रद्द कर दी जाएगी, इस आशय का शपथ—पत्र देना अनिवार्य होगा।

तकनीकी निविदा


- तकनीकी निविदा में निविदादाता को बिहार सरकार परिवहन विभाग से उक्त वाहन का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण—पत्र की अभिप्राप्ति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता या एजेंसी को आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण—पत्र एवं अद्यतन आयकर भुगतान तथा रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- किसी न्यायालय में किसी प्रकार का सिविल/आपराधिक मुकदमा लम्बित न हो इस संबंध में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी से सत्यापित शपथ—पत्र की मूलप्रति।
- फर्म/एजेंसी का पैन कार्ड की छायाप्रति एवं तीन वर्षों का रिटर्न प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- अग्रधन राशि मो०— 2,00,000.00 (दो लाख) रु० का बैंक ड्रापट की मूल प्रति जो प्राचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के पदनाम से देय होगा। अनुमोदित निविदादाता का अग्रधन राशि का दर अनुमोदन पश्चात् जमानत राशि के रूप में जमा रहेगा तथा अन्य निविदादाता की अग्रधन राशि लौटा दी जायेगी। Selected निविदादाता को एकरारनामा समाप्त हो जाने पर जमानत की राशि लौटा दी जाएगी शर्तें कि कोई देनदारी निविदादाता से नहीं हो।
- वाहन का रोड टैक्स के अदायगी का अद्यतन प्रमाण—पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- गाड़ी का पंजीकरण एवं बीमा संबंधी पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- गाड़ी का व्यवसायिक पंजीकरण संबंधी कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- काली सूची में दर्ज नहीं होने का प्रमाण—पत्र/शपथ—पत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा

- वित्तीय निविदा में बस का भाड़ा (चालक+खलासी परिचालन सहित) प्रति किलोमीटर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भाड़े का दर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

अन्य शर्तें

- आवश्यकता पड़ने पर प्रतिमाह 500 (पाँच सौ) किलोमीटर से अधिक बस चलने पर M.V.I. द्वारा स्वीकृत ईंधन खपत की आपूर्ति महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- बस यथा संभव नया देना पड़ेगा।
- सफलीभूत निविदादाता को कार्यादेश निर्गत के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।
- निविदादाता द्वारा वाहन पर दिये जाने वाले चालक का उम्र 35 वर्ष से ऊपर होना अपेक्षित होगा। एकरारनामा के समय चालक के Commercial ड्राइवरी लासेन्स एवं ड्राइवर से उम्र संबंधित प्रमाण—पत्र तथा किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने, आपराधिक मुकदमा दर्ज होने का शपथ—पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा।
- बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- बस में अग्निशमन यंत्र, Emergency Bell, CCTV Camera लगाना तथा Motor Vehicle के अनुरूप बसों को पेटिंग इत्यादि का कार्य कराना अनिवार्य होगा।
- प्रतिदिन बस संचालन के उपरान्त लॉग बुक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- किसी प्रकार के विवाद का निपटारा बेतिया के न्यायालय से होगा।
- फर्म/एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी को श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी एवं अन्य सुविधाएँ देना अनिवार्य होगा।
- यह अन्यबंध (11) ग्यारह माह के लिए वैध होगा। कार्यों की समीक्षा के बाद इस अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कार्य आदेश किसी भी माह में दिया जा सकता है।
- क्रय समिति द्वारा अनुशंसित L₁ निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व रु० 1000.00 (एक हजार) रुपये का नन् जुड़िशियल स्टाम्प पेपर एकरारनामा करने हेतु उपलब्ध कराना होगा। तदोपरान्त कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
- अन्य निदेश कार्यालय के वेबसाईट WWW.gmcbettiah.org पर देखी जा सकती है।


 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
 बेतिया, पश्चिम चम्पारण।
१४/०३/२३